पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24./एम्स. जेडीएच/03(3)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में साईनेज बोर्ड के लिए

कोटेशन का आंमत्रण

पुछताछ संख्या	: प्रशासन/सामान्य/2023–24/एम्स.जेडीएच/03(3)
पूछताछ जारी करने की तिथि	: 02 मई 2023
जमा करने की अंतिम तिथि	: 09 मई, 2023 अपराह्न 03.00 बजे ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज –।। जोधपुर –342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291–2740741, ईमेलः procurement@aiimsjodhpur.edu.in

www.aiimsjodhpur.edu.in

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24./एम्स. जेडीएच/03(3)

साईनेज बोड्र के लिए कोटेशन का आमंत्रण एम्स जोधपुर

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। साईनेज बोर्ड के लिए नियम एंव शर्तो एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हूए कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 09.05.2023 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफें में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए– " साईनेज बोर्ड के लिए कोटेशन "

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/ 2023.24/एम्स.जेडीएच/03(3) 09.05.2023 को अपराह्न 03.00 बजे

1. **नियम और शर्तेः–**

(क) निर्धारित सयम सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियॉ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेंदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैक्स /ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स मे जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोडा जाना अनिवार्य हैं।

(ग) साईनेज बोर्ड की दरों को भारतीय रूपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।

(घ) साईनेज बोर्ड की दरों को माल भाडा शुल्क, बीमा, स्थापना(स्टेशनरी स्टोर तक पहूॅचाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।

(ड) साईनेज बोर्ड की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट–छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता हैं तो कोटेशन को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।

(च) साईनेज बोर्ड की दरें कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दें पर किसी भी निविदा के उद्दरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।

(छ) एल–1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेश पाने का मानदंड नही होगा जब तक दरें वाजिब(रिजनेबल) तथा उचित(जस्टीफाइड) न हो।

(ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण आपूर्तिकता के लेटर हेड पर उद्दरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य हैं।

(झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित शर्ते पूरा करने का स्व–सत्यापित प्रति उद्दरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है–

:– फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।

:– फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना ।

:– फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार ब्लैक लिस्टेड(अवैध) नहीं किया गया।

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24./एम्स. जेडीएच/03(3)

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24/एम्स. जेडीएच/03(3)

(ञ) अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्दरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेशन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।

(ट) साईनेज बोर्ड की आपूर्ति आदेश के 7 दिन के अन्दर आपूर्ति करना अनिवार्य।

(ठ) परिसमापन क्षतिः– यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में आपूर्ति करने में विफल रहता हैं तो प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से या आपूर्ति आदेश मुल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा।

(ड) भुगतान शर्तें :– संतोषजनक आपूर्ति के बाद एम्स जोधपुर द्वारा निरीक्षण करने के बाद भुगतान किया जायेगा।

(ढ) विवाद :– फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद याशर्तों की व्याख्या के सबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जॉच निदेशक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्दरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

2. <u>नियम और शर्तें :–</u>

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का उद्दरण देना होगा।

2. **आपूर्तिकर्ता को स्टेशनरी वस्तुओं साईनेज बोर्ड के नमूने को कोटेशन डालने के साथ प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराना होगा। नमूना जमा नहीं कराने की स्थिति में कोटेशन को निरस्त माना जायेगा।** तथा नमूनों के प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

3. सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का निर्णय समिति द्वारा समग्र आधार पर किया जायेगा। जो कि अंतिम निर्णय होगा।

उप–निदेशक(प्रशासन)

संलग्नः– अनुलग्नः 1. विनिर्देश अनुबंध
2. मूल्य बोली का प्रारूप

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24./एम्स. जेडीएच/03(3)

<u>अनुलग्नः 1. विनिर्देश अनुबंध</u>

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन ईकाई	मात्रा	विशेष विवरण
01	साईनेज बोर्ड (अलग–अलग आकार के)	वर्ग फुट	300	भण्डार कक्ष नमूनों के अनुसार

नोटः– आपूर्तिकर्ता को साईनेज बोर्ड के नमूने को प्रशासनिक खण्ड के तृतीय तल पर स्थित भण्डार कक्ष में जमा कराना होगा हैं। प्रदर्शन पर होने वाला खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

***** साईनेज बोर्ड के नमूनें भण्डार कक्ष से दिनांक 09.05.2023 को दोपहर 01.00 बजे से 03.00 बजे तक देखें जा सकते है।

नोटः– आवश्यकता अनुसार बनाने व संस्थान में विभिन्न जगहों पर सम्बधित कार्य पूर्ण रूप से किया जायेगा।

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24./एम्स. जेडीएच/03(3)

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्नः 2
मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री मान उप–निदेशक (प्रशासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैने/हमने..................................... साईनेज बोर्ड के लिए कोटेशन का आंमत्रण के लिए उद्दरण प्रस्तुत किया। पूछताछ संख्या साईनेज बोर्ड के लिए कोटेशन का आंमत्रण प्रशासन /सामान्य/2023–24/एम्स.जेडीएच/03(3) जमा करने की अंतिम तिथि 09.05.2023 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।

2. मैने/हमनें साईनेज बोर्ड के लिए कोटेशन का आंमत्रण के नियमों और शर्तों की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया हैं तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्दरण अस्वीकार कर दिया जाए।

3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन की ईकाई	मात्रा	दर बिना जीएसटी		जीएसटी कर	जीएसटी सहित दर	कुल राशि	एमआरपी
1	साईनेज बोर्ड (अलग–अलग आकार के)	वर्ग फुट	300						

नोटः– बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में अपना कोटेशन उद्धृत करना हैं अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक.....................................नाम.......................................

स्थान...

फर्म/एजेंसी का नाम...

जीएसटीआईएन नंबर...

बैंक का नाम...

बैंक खाता नम्बर..

आईएफएससी कोड..

शाखा का नाम..

फोन नंबर...

ईमेल...

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य/2023–24./एम्स. जेडीएच/03(3)

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प)............................